F.No 31-2/2019-Grants
Government of India
Ministry of Culture
National Archives of India
Janpath, New Delhi
Email:archives@nic.in
Website: www.nationalarchive.nic.in

05 AUG 2019

The_____

To

All Chief Secretaries,
State Governments/UTs
(As per list)

Subject: **Central Financial Assistance for State/union Territory Archival Repositories, Government Libraries and Museums during 2019-20.**

Madam/Sir,

You might be aware that the National Archives of India operates a 'Scheme of Financial Assistance for State/union Territory Archival Repositories, Government Libraries and Museums' for developmental activities and for preservation of public records/manuscripts and rare books. The maximum limit of financial assistance extended under the scheme is up to Rs. 50.00 lakhs per year in the ratio of 75:25 (i.e. Central Government share 75% and State Government share 25%) of the total cost of the project. A one time financial assistance upto Rs. 50.00 lakhs may be provided in respect of the archival records which are recommended as records of National Importance by an Expert Committee to be constituted by the Grants Committee.

Under the scheme, Financial Assistance is provided for Preservation, Conservation/Repair of Public Records/Manuscripts/Rare books, Archival Photographs and Prints (including Oleographs and Lithographs) and Electronic records, Publication, Listing, Cataloguing, Microfilming, Digitization (including support for digitization job work as well as purchase of equipments, viz., camera, scanner, computer, printer, copier etc.), and Compilation of Guide to the Records, Manuscripts and Rare Books, Purchase of Preservative and Reprographic material/ equipments which include Cardex, Catalogue, Card Cabinets, Plain Paper Copiers, Microfilm/Microfiche Cameras/Readers, Microfilm Processors, Lamination Machines, Computers, Fumigation Chambers etc., Air-conditioning of Muniment Rooms and Construction, Addition/alterations, Renovation of Existing Buildings.

With a view of supporting the efforts of various Government Institutions that are engaged in preservation of documentary heritage of nation, I would request you to kindly give wide publicity to the said Scheme so that the deserving institutions in your State may avail the Financial Assistance under it. I am enclosing one copy of the scheme alongwith prescribed application forms with this letter which may be circulated to all concerned. Application duly recommended by the State Level Screening Committee (SLSC) where already existing in the prescribed performa may be forwarded to the Director General, Chairman, Grants Committee, National Archives of India, Janpath, New Delhi-110 001 on or before 29 August 2019. Where there is no SLSC, the applications should be recommended/approved by the Secretary of the Controlling/Administrative Department of the respective State Government/UT Administration. However, assurance of matching share could be given either by applicant organization itself or by its Controlling/Administrative Department of the respective state.

Yours faithfully,

Encl: As above

(T.Hussain) 5/8/19
Deputy Director of Archives
Government of India
Tele fax No. 23385967

Copy to :- The Directors, State Government, Union Territory Archival Repositories, Librarians/In-charge of Government Museums and Libraries.

For Director General of Archives.
Government of India.

मि. संख्या. 31-2/2019 - अनुदान
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली-110 001,
email: archives@nic.in

05 AUG 2019

दिनांक_____

सेवा में,

सभी मुख्यसचिव,
राज्य सरकार/केन्द्रशासित (सूचीनुसार)

विषय: राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारो, सरकारी पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता, वित्तीय वर्ष, 2019-2020.

महोदया/महोदय,

आपको विदित है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है जिसके अन्तर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारो, सरकारी पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों को लोक अभिलेखों/पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों इत्यादि के संरक्षण और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस योजना के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है जो कि प्रतिवर्ष 75: 25 प्रतिशत के अनुपात में दी जाती है (अर्थात केन्द्रीय सरकार का अंशदान प्रत्येक परियोजना की पूरी लागत के 75% तक सीमित होगा तथा राज्य सरकार का अंश 25% का होगा) । वे अभिलेख जिनकी अनुदान समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सिफारिश की गई, उन्हें एकमुश्त 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत लोक अभिलेखों, पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, अभिलेखीय छाया चित्रों एवं प्रिन्टस (ओलियोग्राफ एवं लिथोग्राफ सहित) और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डस के परिरक्षण/संरक्षण/मरम्मत के लिए, अभिलेखों और पाण्डुलिपियों के प्रकाशन, सूचीकरण, कैटेलोगिंग, माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन (डिजिटाइजेशन जॉब कार्य के साथ कैमरा, स्कैनर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, कॉपियर आदि उपकरणों की खरीद हेतु समर्थन सहित) तथा अभिलेखों, पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों की संदर्शिका के संकलन के लिए, संरक्षण और रेप्रोग्राफिक सामग्री/उपकरणों की खरीद हेतु, उपकरणों में कारडेक्स, केटेलोग, कार्ड केबिनेट, प्लेन पेपर कॉपीयर, माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिश कैमरा/रीडर, माइक्रोफिल्म प्रोसेसर, लेमीनेशन मशीन, कम्प्यूटर, फयूमीगेशन चेम्बर आदि शामिल है, दस्तावेज कक्षों को वातानुकूलित करने के लिए, भवन निर्माण अथवा विद्यमान भवन में विस्तार/बदलाव/नवीकरण के लिए वित्तीय सहातया उपलब्ध कराई जाती है ।

इस योजना का उद्देश्य उन विभिन्न संस्थानों को सहायता प्रदान करने का है जो राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करने में वचनबद्ध है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उपरोक्त योजना को प्रोत्साहित करें ताकि सुपात्र संस्थान इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर लाभ उठा सके । मैं इस पत्र के साथ योजना की 1 प्रति भेज रहा हूं जिसे आप सभी संस्थाओं में परिचालित करने का कष्ट करे। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति जहाँ पहले से गठित है द्वारा संस्तुति के साथ अभिलेख महानिदेशक, अध्यक्ष, अनुदान समिति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनपथ, नई दिल्ली-110 001 को 29 अगस्त, 2019 के पहले या तक अग्रसारित करने की कृपा करे। जहां राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति नहीं है, उस मामले में आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग के सचिव द्वारा सिफारिश/अनुमोदित किया गया हो। तथापि, मैचिंग शेयर का आश्वासन आवेदनकर्ता संगठन दे सकता है या संबंधित राज्य का नियंत्रक/प्रशासनिक विभाग दे सकता है ।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि

(टी.हुसैन)
अभिलेख उप-निदेशक
भारत सरकार
फोन/ फैक्स न. 2338 5967

प्रति प्रेषित: सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अभिलेखागारो के निदेशक, सरकारी पुस्तकालयों के अध्यक्ष एवं सरकारी संग्रहालयों के प्रभारी को।

कृते अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार